



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<https://rajpatra.hp.gov.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 23 अक्टूबर, 2026 / 01 कार्तिक, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 22nd October, 2026

No. Fin-2-C(12)-1/2026.—Gsovernment of Himachal Pradesh hereby notifies the **Re-issue of 7.77% Himachal Pradesh SGS 2049, issued on June 24, 2026** for an aggregate amount of

₹400 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003, dated November 06, 2025 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan

1. (i) The proceed of the State Government Securities will be utilize for the development programme of the State of Himachal Pradesh.
- (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai- 400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated November 06, 2025 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the **Price** based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure–II).

Place and Date of Auction

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on **October 27, 2026**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on **October 27, 2026**.

- (a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10:30 A.M. and 11.30 A.M.
- (b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **October 28, 2026**.

Method of Payment

6. Successful bidders will make payments on **October 28, 2026** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort) /New Delhi.

Tenure

7. The Stock will be of **23-year** tenure from the date of commencement on **June 24, 2026**.

Date of Repayment

8. The loan will be repaid at par on **June 24, 2049**.

Rate of Interest

9. Interest at the rate of **7.77%** per annum will accrue on the nominal value of the stock from the date of original issue date and will be paid half yearly on **December 24 and June 24**.

Eligibility of Securities

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh.

Sd/-
(DEVESH KUMAR, IAS),
Principal Secretary (Finance).

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 22 अक्टूबर, 2026

संख्या: वि०स०/स्था०/सेवा नि०/6-30/80-II.—अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री रवि दत्त पराशर, निजी सचिव हिमाचल प्रदेश विधान सभा से दिनांक 31-01-2027 (अपराह्न) को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर.-56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होंगे।

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 22nd October, 2026

No. SJE-A(F)1/1/2016.—In partial modification of this department's Notification of even number dated 24-08-2023, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend the provision

4(d) of Scheme/Guidelines for the engagement of the Anganwadi Workers/Helpers in the following manner :—

Early Provision	New Provision
4. Eligibility Criteria d) The annual income of the family of candidate does not exceed Rs. 50,000/- per annum to certified/countersigned by an officer not below the rank of Naib Tehsildar/ Tehsildar/Executive Magistrate.	4. Eligibility Criteria d) The annual income of the family of the candidate shall not exceed Rs.75,000/- per annum, to be certified/countersigned by an officer not below the rank of Naib Tehsildar/ Tehsildar/Executive Magistrate.

The above amendment shall come into force from the date of issue of this Notification.

By order,

C.P. VERMA,
Secretary (SJ & E).

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्री प्रेम राज पुत्र श्री ब्यास देव, निवासी गांव कुंटेडी, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री प्रेम राज पुत्र श्री ब्यास देव, निवासी गांव कुंटेडी, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनकी बेटी का जन्म दिनांक 14-06-2016 को गांव कुंटेडी, पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सलूणी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सलूणी के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बेटी के जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-10-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-10-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 28-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्रीमती कमलो देवी पुत्री श्री गुरध्यान, निवासी गांव बरेई, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती कमलो देवी पुत्री श्री गुरध्यान, निवासी गांव बरेई, परगना हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 13-03-1981 को गांव बरेई, पंचायत खडजोता, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत खडजोता, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत खडजोता के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-10-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-10-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 28-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्रीमती सुजाता पुत्री श्री जय सिंह, निवासी गांव भटमोह, परगना जूढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती सुजाता पुत्री श्री जय सिंह, निवासी गांव भटमोह, परगना जूढ, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक

15-03-1974 को गांव भटमोह, पंचायत सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सुंडला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-10-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-10-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 28-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)

श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री सुभाष चंद, निवासी गांव सिंगा, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री सुभाष चंद, निवासी गांव सिंगा, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 06-10-1997 को गांव सिंगा, पंचायत सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सिंगाधार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सिंगाधार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बेटी के जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-10-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-10-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 28-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्रीमती हाफिज़ा पुत्री श्री बशीर मोहमद, निवासी गांव किलुडा, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती हाफिज़ा पुत्री श्री बशीर मोहमद, निवासी गांव किलुडा, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 19-09-1979 को गांव किलुडा, पंचायत डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत डांड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-10-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-10-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 29-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री भीलो राम पुत्र श्री लोचु, निवासी गांव डलयुंड, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री भीलो राम पुत्र श्री लोचु, निवासी गांव डलयुंड, परगना मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 10-09-1980 को गांव डलयुंड, पंचायत भडेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था

लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत भडेला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत भडेला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-10-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-10-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 28-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्रीमती शशि देवी पुत्री श्री धर्म चंद, निवासी गांव तलोड़ी, परगना सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती शशि देवी पुत्री श्री धर्म चंद, निवासी गांव तलोड़ी, परगना सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 01-01-1970 को गांव तलोड़ी, पंचायत सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत सुंडला, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत सुंडला के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनके जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इशतहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-10-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना-पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-10-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 29-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)**

श्री राज दीन पुत्र श्री शेर मोहमद, निवासी गांव चांदल, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत विलंबित जन्म/मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

श्री ताज दीन पुत्र श्री शेर मोहमद, निवासी गांव चांदल, परगना किहार, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनकी बेटी का जन्म दिनांक 10-05-1988 को गांव चांदल, पंचायत डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था लेकिन वह अज्ञानतावश जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत डांड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सके। अतः ग्राम पंचायत डांड के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी बेटी के जन्म का विलंबित पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएं।

अतः उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो उजरकर्ता दिनांक 27-10-2026 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में मुताबिक प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी 27-10-2026 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 28-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी मैजिस्ट्रेट,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

नीलम कुमारी पुत्री श्री बाम देव, गांव व डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत राजनगर, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 7379/2026, दिनांक 05-10-2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः

1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/9812, दिनांक 08-05-2026।
2. शपथ पत्र
3. जन्म रिपोर्ट
4. आधार कार्ड
5. परिवार रजिस्टर नकल।

जिसमें आवेदिका नीलम कुमारी पुत्री श्री बाम देव, गांव व डाकघर राजनगर, ग्राम पंचायत राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका नीलम कुमारी पुत्री श्री बाम देव, गांव व डाकघर राजनगर का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 08-05-2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि नीलम कुमारी पुत्री श्री बाम देव, गांव व डाकघर राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 13-05-1969 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका नीलम कुमारी पुत्री श्री बाम देव, गांव व डाकघर राजनगर की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव राजनगर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री मदन लाल पुत्र विक्की, निवासी महाल भरमोटी कलां, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री मदन लाल पुत्र विक्की, निवासी महाल भरमोटी कलां, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 13-10-2026 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि प्रार्थी का नाम कागजात माल महाल भरमोटी कलां, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में मोती लाल उर्फ मदन लाल पुत्र विक्की दर्ज है, परन्तु अन्य जगह जैसा कि आधार कार्ड, परिवार नकल आदि में प्रार्थी का नाम मदन लाल पुत्र विक्की दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम अब दुरुस्त करवाकर कागजात माल महाल भरमोटी कलां, मौजा कोहला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में मदन लाल पुत्र विक्की दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सरकारी इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करवाने में कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असातन या वकालतन

तारीख 30-10-2026 को सुबह 10.00 बजे मुकाम तहसील कार्यालय नादौन में हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 14-10-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री गुरवचन सिंह पुत्र उत्तम सिंह, निवासी महाल भराड़ता, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री गुरवचन सिंह पुत्र उत्तम सिंह, निवासी महाल भराड़ता, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 13-10-2026 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम कागजात माल महाल भराड़ता, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में उत्तम सिंह पुत्र वीरवल दर्ज है, परन्तु अन्य जगह जैसा कि आधार कार्ड, परिवार नकल आदि में प्रार्थी का नाम उत्तम चन्द पुत्र वीरवल दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम अब दुरुस्त करवाकर कागजात माल महाल भराड़ता, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में उत्तम चन्द पुत्र वीरवल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सरकारी इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करवाने में कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख 30-10-2026 को सुबह 10.00 बजे मुकाम तहसील कार्यालय नादौन में हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 14-10-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

**In the Court of Sh. Vikash Shukla, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Deep Raj aged 23 years s/o Sh. Mahisha Nand, r/o Village Bosari, P.O. Sindasli, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

2. Taniya aged 23 years d/o Sh. Devi Dass, r/o Road Kumhar Mohalla Kalka, Kalka, P.O. Kalka, Distt. Panchkula, Haryana-133 302 . . . Applicants.

Versus

General Public

. . . Respondent.

Subject.—Notice of the Intended Marriage.

Deep Raj aged 23 years s/o Sh. Mahisha Nand, r/o Village Bosari, P.O. Sindasli, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) and Taniya aged 23 years d/o Sh. Devi Dass, r/o Road Kumhar Mohalla Kalka, Kalka, P.O. Kalka, Distt. Panchkula, Haryana-133 302 have filed an application in the court of undersigned under section 05 of special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that they any person who has any objections regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 31-10-2026. The objections received after 31-10-2026 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 07-10-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

(VIKASH SHUKLA, HPAS),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

समक्ष नायब तहसीलदार, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री जोगिन्दर कुमार पुत्र मिलखी राम, निवासी महाल टंकरु, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री जोगिन्दर कुमार पुत्र मिलखी राम, निवासी महाल टंकरु, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 06-10-2026 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उसका नाम कागजात माल महाल टंकरु, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में जोगिन्दर चन्द पुत्र मिलखी राम दर्ज है, परन्तु अन्य जगह जैसा कि आधार कार्ड, परिवार नकल आदि में प्रार्थी का नाम जोगिन्दर कुमार पुत्र मिलखी राम दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम अब दुरुस्त करवाकर कागजात माल महाल टंकरु, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में जोगिन्दर कुमार पुत्र मिलखी राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सरकारी गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करवाने में कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन

तारीख 30-10-2026 को सुबह 10.00 बजे मुकाम तहसील कार्यालय नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के अनुसार नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 06-10-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री हर्ष ठाकुर पुत्र किशोरी लाल, निवासी महाल डिव, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री हर्ष ठाकुर पुत्र किशोरी लाल, निवासी महाल डिव, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 07-10-2026 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उसका नाम कागजात माल महाल डिव, मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में हर्ष पुत्र किशोरी लाल दर्ज है, परन्तु अन्य जगह जैसा कि आधार कार्ड, परिवार नकल आदि में प्रार्थी का नाम हर्ष ठाकुर पुत्र किशोरी लाल दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम अब दुरुस्त करवाकर कागजात माल महाल डिव मौजा हथोल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में हर्ष ठाकुर पुत्र किशोरी लाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सरकारी इश्तहार गजट द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करवाने में कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख 30-10-2026 को सुबह 10.00 बजे मुकाम तहसील कार्यालय नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के अनुसार नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 08-10-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

श्री बलदेव सिंह कौशल पुत्र दुर्गा, निवासी महाल घलूं, मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री बलदेव सिंह कौशल पुत्र दुर्गा, निवासी महाल घलूं, मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने दिनांक 08-10-2026 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उसका नाम कागजात माल महाल घलूं, मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में बलदेव सिंह पुत्र दुर्गा दर्ज है, परन्तु अन्य जगह जैसा कि आधार कार्ड, परिवार नकल आदि में प्रार्थी का नाम बलदेव सिंह कौशल पुत्र दुर्गा दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम अब दुरुस्त करवाकर कागजात माल महाल घलूं, मौजा जलाडी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में बलदेव सिंह कौशल पुत्र दुर्गा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सरकारी इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करवाने में कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख 30-10-2026 को सुबह 10.00 बजे मुकाम तहसील कार्यालय नादौन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। तारीख पेशी के बाद किसी किस्म का एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के अनुसार नाम दुरुस्ती बारे आवश्यक आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 08-10-2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार,
तहसील नादौन, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 708683/2026

तारीख फैसला : 30-10-2026

मुकद्दमा शीर्षक :-

त्रिलोक चन्द पुत्र ज्ञान चन्द, गांव बडाभंगाल, डा0 बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
...वादी।

बनाम

आम जनता

...प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 37(1) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें वादी त्रिलोक चन्द पुत्र ज्ञान चन्द, गांव बडाभंगाल, डा0 बीड़, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि वादी और उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल बडाभंगाल, पटवार वृत्त बडाभंगाल में त्रिलोक पुत्र ज्ञानू दर्ज किया गया है जो कि गलत है, जबकि वादी और वादी के पिता का नाम वादी के अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड और राशन कार्ड में त्रिलोक चन्द पुत्र ज्ञान चन्द दर्ज है जो सही व दुरुस्त नाम है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त वादी का नाम और वादी के पिता का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में त्रिलोक उर्फ त्रिलोक चन्द पुत्र ज्ञानू उर्फ ज्ञान चन्द दर्ज किया जाने के सम्बन्ध में यदि कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2026 को इस न्यायलय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उक्त वादी का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में त्रिलोक उर्फ त्रिलोक चन्द पुत्र ज्ञानू उर्फ ज्ञान चन्द नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 708684 / 2026

तारीख फैसला : 30-10-2026

मुकद्दमा शीर्षक :-

रूपा राम पुत्र शिवू राम, गांव नलोहता, डा0 बड़ागां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) vs वादी।

बनाम

आम जनता

vs प्रतिवादी।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 37(1) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें वादी रूपा राम पुत्र शिवू राम, गांव नलोहता, डा0 बड़ागां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि वादी और उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल नलोहता, पटवार वृत्त बड़ागां में रूप सिंह पुत्र शिव राम दर्ज किया गया है जो कि गलत है, जबकि वादी और वादी के पिता का नाम वादी के अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, में रूपा राम पुत्र शिवू राम दर्ज है, जो सही व दुरुस्त नाम है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त वादी का नाम और वादी के पिता का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में रूप सिंह उर्फ रूपा राम पुत्र शिव राम उर्फ शिवू राम दर्ज किया जाने के सम्बन्ध में यदि कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2026 को इस न्यायलय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उक्त वादी का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में रूप सिंह उर्फ रूपा राम पुत्र शिव राम उर्फ शिवू राम नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 708686 / 2026

तारीख फैसला : 30-10-2026

मुकद्दमा शीर्षक :-

बलदेव राज पुत्र मुख्खी राम, गांव नलोहता, डा0 बड़ागां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) vs वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी ।

आवेदन पत्र बाबत जेर धारा 37(1) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत ।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें वादी बलदेव राज पुत्र मुख्खी राम, गांव नलोहता, डा0 बड़ागां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल बड़ागां, पटवार वृत्त बड़ागां, और मुहाल राजगुन्धा पटवार वृत्त राजगुन्धा में मिलखी पुत्र डागी दर्ज किया गया है जो कि गलत है, जबकि वादी के पिता का नाम वादी के अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड और परिवार रजिस्टर नकल में रूपा राम पुत्र मुख्खी राम दर्ज है जो सही व दुरुस्त नाम है ।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त वादी के पिता का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में मिलखी उर्फ मुख्खी राम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में यदि कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2026 को इस न्यायलय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है । हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उक्त वादी का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में मिलखी उर्फ मुख्खी राम नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे ।

आज दिनांक 03-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।

ब अदालत श्री हरीश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मुलथान,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 708687 / 2026

तारीख पेशी : 30-10-2026

उनवान मुकद्दमा :—

मान सिंह पुत्र श्री खाम्पा राम, गांव नलहोता, डा0 बड़ागां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ।
वादी ।

बनाम

आम जनता

विषय.—आवेदन पत्र बाबत जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें उपरोक्त प्रार्थी मान सिंह पुत्र श्री खाम्पा राम, गांव नलहोता, डा0 बड़ागां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 24-09-1961 को गांव नलहोता, डा0 बड़ागां, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है, वादी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अज्ञानता व भूलवश के कारण समय पर दर्ज नहीं करवा सके तथा अब सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत बड़ागां को दर्ज करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है ।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि वादी का जन्म दिनांक 24-09-1961 को ग्राम पंचायत कोठी कोहड़ के अभिलेख जन्म एवं पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री हरीश कुमार तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील मुलथान,
जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

मुकद्दमा नं0 708679/2026

तारीख फैसला 30-10-2026

मुकद्दमा शीर्षक :-

किशन लाल पुत्र भेन्दू, पुत्र भिच्छू, गांव पोलिंग, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है, जिसमें वादी किशन लाल पुत्र भेन्दू पुत्र भिच्छू, गांव पोलिंग, डा0 लोहारडी, तहसील मुलथान जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना की है कि उसके दादा का नाम राजस्व अभिलेख के मुहाल पोलिंग, पटवार वृत्त खड़ी मलाह में भिच्छु पुत्र डोडू दर्ज किया गया है, जो कि गलत है, जबकि वादी के दादा का नाम वादी के अन्य रिकार्ड में माली पुत्र डोडू दर्ज है, जो सही व दुरुस्त नाम है।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त वादी के दादा का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में भिच्छू उर्फ माली पुत्र डोडू दर्ज किया जाने के सम्बन्ध में यदि कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2026 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी प्रकार का कोई भी उजर व एतराज स्वीकार्य न होगा तथा नियमानुसार उक्त वादी के दादा का नाम उपरोक्त मुहाल के तमाम राजस्व अभिलेख में भिच्छू उर्फ माली पुत्र डोडू नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

मुकद्दमा नं0 / 2026

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 29-10-2026

कमला देवी पुत्री स्व0 ओधू राम, निवासी गांव घरथोली, डाकघर बल्लाह, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म पंजीकरण बारे।

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म, मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत कमला देवी पुत्री स्व0 ओधू राम, निवासी गांव घरथोली, डाकघर बल्लाह, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 15-09-1958 को गांव घरथोली, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुआ था। मगर ग्राम पंचायत खड़ोठ के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इशतहार राजपत्र हि0प्र0 व मुश्री/मुन्यादी चस्पानगी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस जन्म पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति या संस्था को उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर उजर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थिया कमला देवी पुत्री स्व0 ओधू राम, निवासी गांव घरथोली, डाकघर बल्लाह, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 का जन्म दिनांक 15-09-1958 के पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 30-16-2020

श्री धर्म सिंह पुत्र भरेवतू, निवासी महाल अन्दरौली, डाकघर वच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

आम जनता

प्रतिवादी।

बिषय.—प्रार्थना-पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल अन्दरौली मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

प्रार्थी श्री धर्म सिंह पुत्र भरेवतू, निवासी महाल अन्दरौली, डाकघर वच्छवाई, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम आधार कार्ड व पंचायत अभिलेख में धर्म सिंह पुत्र भरेवतू दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी धर्म सिंह पुत्र भरेवतू ही है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल अन्दरौली, तहसील थुरल में उनका

नाम धर्म पुत्र भरेवतू दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल अन्दरौली, तहसील थुरल में दुरुस्ती करवा करके धर्म पुत्र भरेवतू के बजाए धर्म पुत्र भरेवतू उपनाम धर्म सिंह पुत्र भरेवतू करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुन्त्री/मुन्यादी चस्पांगी व इश्तहार अखबारी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल अन्दरौली, तहसील थुरल में धर्म पुत्र भरेवतू के बजाए धर्म पुत्र भरेवतू उपनाम धर्म सिंह पुत्र भरेवतू दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वो तारीख पेशी 30-10-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 6-09-2026 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा.—दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 30-10-2026

श्री विजय कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव फुलवाड, मौजा थुरल, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल फुलवाड, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थी श्री विजय कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, गांव फुलवाड, मौजा थुरल, तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पिता का नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज में ज्ञान चन्द दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल फुलवाड में उसके पिता का नाम ज्ञानी गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल कोतवाल लाहड में दुरुस्ती करवा करके ज्ञानी के बजाए ज्ञान चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुन्त्री मुन्यादी/चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के पिता के नाम की राजस्व अभिलेख महाल फुलवाड में दुरुस्ती दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 30-10-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 13-10-2026 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate, Anni, Distt. Kullu (H.P.)

Pushap Lata

. . Applicant.

Vs

General Public

. . Respondent.

Subject.—Notice for correction of date of birth in Aadhar Card.

Pushap Lata d/o Sh. Het Ram, r/o Village Koltha, P.O. Lagauti, Tehsil Anni, Distt. Kullu (H.P.) has moved an application in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that her date of birth has wrongly entered as 01-01-1991 in Aadhar Card inspite of 10-03-1990. She has requested that the correct date of birth as per her relevant documents be entered as 10-03-1990 in the Aadhar Card.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objectin regarding date of birth of applicant, he/she/they, any file his/her/their objection on or before 30-10-2026 before this court. In case of non-filing of any objection the *ex-parte* order will be passed.

Given under my seal and signature on this 6th day of October, 2026.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Anni, Distt. Kullu (H.P.).***In the Court of Rajat Sharma, Assistant Collector First Grade, Tehsil Nirmand,
District Kullu (H.P.)**

Sh. Bhupender Singh s/o Late Sh. Pratap Singh, r/o Village Aweri Phati Nirmand, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.)

. . Plaintiff.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Correction of name in revenue records under Section 38(a) of Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

Sh. Bhupender Singh s/o Late Sh. Pratap Singh, r/o Village Aweri Phati Nirmand, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) has filed an affidavit in this court stating that his correct name in Aadhar Card, Family Register copy, PAN Card, Voter ID, Driving License, Panchayat records, school records and other documents is Bhupender Singh. However, in the revenue records, specifically in the Muhal Nirmand, Jamabandi for the year 2020-21 his name is recorded as Bhuvneshwar Singh which is incorrect. The petitioner has requested correction of the above mentioned name.

Therefore, the general public and all concerned are hereby informed through this gazette advertisement and proclamation that if any person has any objection regarding the said name correction, such objector may appear in person or through an authorized agent or advocate in this

court on 30-10-2026 at 10.00 A.M., for the hearing of this case and raise their objection. In the absence of any objection on the said date, orders for correction of the name will be passed and no objection will be entertained after the date of hearing *i.e.* 30-10-2026.

Issued today on 12-10-2026 with my signature and the seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector First Grade,
Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.).*

**In the Court of Rajat Sharma, Assistant Collector First Grade, Tehsil Nirmand,
District Kullu (H.P.)**

Smt. Ramila Devi d/o Sh. Kumat Ram, r/o Village Aweri Phati Nirmand, Tehsil Nirmand,
District Kullu (H.P.) . . *Plaintiff.*

Versus

General Public

. . *Respondent.*

Subject.—Correction of name in revenue records under Section 38(a) of Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

Smt. Ramila Devi d/o Sh. Kumat Ram, r/o Village Aweri Phati Nirmand, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) has filed an affidavit in this court stating that her correct name in Aadhar Card, Family Register copy, PAN Card, Voter ID, Driving License, Panchayat records, School records and other documents is Ramila Devi. However, in the revenue records, specifically in the Muhal Nirmand, Jamabandi for the year 2020-21 her name is recorded as Nirmla Devi which is incorrect. The petitioner has requested correction of the above mentioned name.

Therefore, the general public and all concerned are hereby informed through this gazette advertisement and proclamation that if any person has any objection regarding the said name correction, such objector may appear in person or through an authorized agent or advocate in this court on 30-10-2026 at 10.00 A.M., for the hearing of this case and raise their objection. In the absence of any objection on the said date, orders for correction of the name will be passed and no objection will be entertained after the date of hearing *i.e.*, 30-10-2026.

Issued today on 12-10-2026 with my signature and the seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector First Grade,
Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.).*

**In the Court of Rajat Sharma, Assistant Collector First Grade, Tehsil Nirmand,
District Kullu (H.P.)**

Sh. Sukh Ram s/o Sh. Dhyan Singh, r/o Village Seri Phati Tunan, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) . . *Plaintiff.*

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Correction of name in revenue records under Section 38(a) of Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

Sh. Sukh Ram s/o Sh. Dhyan Singh, r/o Village Seri Phati Tunan, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) has filed an affidavit in this court stating that his correct name in Aadhar Card, Family Register copy, PAN Card, Voter ID, Driving License, Panchayat records, School records and other documents is Sukh Ram. However, in the revenue records, specifically in the Muhal Tunan, Jamabandi for the year 2019-20 his name is recorded as Sukh Nand which is incorrect. The petitioner has requested correction of the above mentioned name.

Therefore, the general public and all concerned are hereby informed through this gazette advertisement and proclamation that if any person has any objection regarding the said name correction, such objector may appear in person or through an authorized agent or advocate in this court on 30-10-2026 at 10.00 A.M. for the hearing of this case and raise their objection. In the absence of any objection on the said date, orders for correction of the name will be passed and no objection will be entertained after the date of hearing *i.e.* 30-10-2026.

Issued today on 12-10-2026 with my signature and the seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector First Grade,
Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.).*

**In the Court of Rajat Sharma, Assistant Collector First Grade, Tehsil Nirmand,
District Kullu (H.P.)**

Sh. Hari Singh s/o Sh. Devi Ram, r/o Village Damehdi Phati Badi, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) . . Plaintiff.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Correction of name in revenue records under Section 38(a) of Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

Sh. Hari Singh s/o Sh. Devi Ram, r/o Village Damehdi Phati Badi, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.) has filed an affidavit in this court stating that his correct name in Aadhar Card, Family Register copy, PAN Card, Voter ID, Driving License, Panchayat records, School records and other documents is Hari Singh. However, in the revenue records, specifically in the Muhal Badi, Jamabandi for the year 2022-23 his name is recorded as Hari Chand which is incorrect. The petitioner has requested correction of the above mentioned name.

Therefore, the general public and all concerned are hereby informed through this gazette advertisement and proclamation that if any person has any objection regarding the said name correction, such objector may appear in person or through an authorized agent or advocate in this

court on 30-10-2026 at 10.00 A.M. for the hearing of this case and raise their objection. In the absence of any objection on the said date, orders for correction of the name will be passed and no objection will be entertained after the date of hearing i.e. 30-10-2026.

Issued today on 12-10-2026 with my signature and the seal of the court.

Seal.

Sd/-

Assistant Collector First Grade,
Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री दिलू, निवासी गांव बाहणू, डाकघर प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे।

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री दिलू, निवासी गांव बाहणू, डाकघर प्रीणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है, कि उनका जन्म 16-08-1970 को हुआ है। परंतु ग्राम पंचायत जगतसुख के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि प्रेम चन्द पुत्र श्री दिलू की जन्म तिथि 16-08-1970 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को प्रेम चन्द पुत्र श्री दिलू की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे किसी को आपत्ति हो तो वह दिनांक 25-10-2026 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरांत कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत पनंगा के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री अंकित शर्मा, सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नम्बर : 7068220/2026

तारीख मजरूआ : 03-10-2026

आगामी पेशी : 31-10-2026

उनवान मुकद्दमा.—श्री खेम सिंह पुत्र दुर्गा सिंह उपनाम चेत राम, निवासी गांव पटराहण, डाकघर कपाही, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

प्रार्थी।

बनाम

प्रार्थना—पत्र बराये कागजात माल में प्रार्थी के पिता के नाम को दुरुस्त करने बारा।

श्री खेम सिंह पुत्र दुर्गा सिंह उपनाम चेत राम, निवासी गांव पटराहण, डाकघर कपाही, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता का नाम पंचायत रिकार्ड में दुर्गा सिंह उपनाम चेत राम दर्ज है जोकि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कपाही के मुहाल कपाही में दुर्गा सिंह दर्ज है। प्रार्थी उपरोक्त राजस्व अभिलेख में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती करवाकर दुर्गा सिंह के स्थान पर दुर्गा सिंह उपनाम चेत राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती के बारे में कोई भी उजर/एतराज हो तो दिनांक 31-10-2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि के पश्चात् किसी भी व्यक्ति का कोई एतराज काबिले समायत न होगा व नाम दुरुस्ती के बारे में हस्बजाब्ता कार्यवाई अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 03-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री आदित्य गुलेरिया, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

प्रकरण में—

श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री छांगू राम, निवासी गांव जरल, डाकघर जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।

श्रीमती विद्या देवी पुत्री श्री छांगू राम, निवासी गांव जरल, डाकघर जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका जन्म 06-07-1962 को गांव जरल, डाकघर जुगाहण, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) में हुआ है, किन्तु कारणवश जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत महादेव के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। इसलिए जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दिये जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 28-10-2026 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुश्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह 28-10-2026 को इस अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैर—हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाई अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थिया का जन्म तिथि दिनांक 06-07-1962 का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत महादेव के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं० : 808076

तारीख मरजुआ : 29-09-2026

तारीख पेशी : 28-10-2026

श्याम लाल पुत्र शीव राम, गांव खलबुट, डाकघर बथेरी, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती बारा इश्तहार मुश्री मुनादी।

श्याम लाल पुत्र शीव राम, गांव खलबुट, डाकघर बथेरी, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका नाम आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों में श्याम लाल दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड मुहाल खलबुट में गलती से श्याम चन्द दर्ज किया है। जोकि उसका घरेलू नाम है श्याम चन्द व श्याम लाल दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है तथा उसे दोनों नामों से गांवों में जाना जाता है। प्रार्थी के अलग-अलग नाम दर्ज होने की वजह से उसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने इस न्यायालय से प्रार्थना की है कि श्याम चन्द उपनाम श्याम लाल दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जावें।

प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र के माध्यम व मुश्री मुनादी से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम श्याम चन्द उपनाम श्याम लाल दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 28-10-2026 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इश्तहार की एक प्रति पटवार खाना भवन, सरगाह आम में चस्पान की जावे।

यह इश्तहार आज दिनांक 09-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**Before Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar, Sub-Tehsil Bagshar,
District Mandi (H.P.)**

File No. : 03/ B&D/2026

Date of institution : 06-10-2026

In the matter of :—

Shanta Devi d/o Smt. Mathu Devi, r/o Village Mahota, P.O. Jassal, Sub-Tehsil Bagshar,
District Mandi (H.P.)
..Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Proclamation for delay birth & death registration Act, 1969 u/s 13(3).

An application has been filed by the aforesaid applicant in which she submitted that her birth event has not been entered in his native Gram Panchayat Birth Register i.e. Gram Panchayat Sawindhar. The report of Additional District Registrar (Birth & Death) Mandi, District Mandi has also attached by the applicant wherein, it has recommended that after verifying the facts from the documents produced for the birth event of applicant namely Smt. Shanta Devi d/o Smt. Mathu Devi may be entered in the birth register of concerned Gram Panchayat as 01-10-1971.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding the entering of birth event in Birth Register of Gram Panchayat Sawindhar, he/she/they can file the objection(s) personally or in writing before this court on or before 28-10-2026 from the date of this notice after that no objection(s) will be entertained and the ex-parte order will be passed accordingly.

Issued today on 06th day of October, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Bagshar, District Mandi (H.P.).*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 808079

तारीख मरजुआ : 30-09-2026

तारीख पेशी : 30-10-2026

कृष्णा देवी पुत्री पुरखु राम (पत्नी डुमण सिंह)ए गांव झर्खीधार, डा0 कटौला, उप-तहसील कटौला, हाल निवासी गांव शायरी, डा0 राहला, तह0 औट, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारा।

कृष्णा देवी पुत्री पुरखु राम (पत्नी डुमण सिंह), गांव झर्खीधार, डा0 कटौला, उप-तहसील कटौला, हाल निवासी गांव शायरी, डा0 राहला, तह0 औट जिला मण्डी (हि0प्र0) ने अधिवक्ता श्री नवीन शर्मा के द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 02-4-1975 को गांव झर्खीधार, डा0 कटौला, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी में घर पर हुआ है। अज्ञानतावश मेरे माता पिता मेरी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटौला के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सके। जन्म तिथि दर्ज न होने की वजह से मुझे कई असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटौला में दर्ज करवाना चाहत है। मेरी न्यायालय से प्रार्थना की है कि मेरी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कटौला, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी हि0प्र0 में दर्ज करने के लिखित आदेश पारित किए जावे।

प्रार्थना-पत्र में प्रार्थिया की जन्म तिथि दर्ज करने बारा आम जनता को इश्तहार राजपत्र मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रार्थिया कृष्णा देवी पुत्री पुरखु राम (पत्नी

दुमण सिंह), गांव झरखीधार, डा0 कटौला, उप-तहसील कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 30-10-2026 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं समय पर हाजिर न आने की सुरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी इशतहार की एक पगति पटवार खाना भवन, सरगाह आम, पंचायत भवन में चस्पान की जावे।

यह इशतहार आज दिनांक 06-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कटौला, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत अनिल कुमार, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री सरन दास, निवासी गांव व डाकघर शोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ग्राम पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज करवाने बारा।

श्रीमती निशा देवी पत्नी श्री सरन दास, निवासी गांव व डाकघर शोली, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0 ने प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी बेटी पलक की जन्म तिथि 19-06-2010 अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सकी। अब प्रार्थिया ग्राम पंचायत शोली के जन्म व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अपनी बेटी की जन्म तिथि का पंजीकरण करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने अपना ब्यान हल्फी (स्वयं सत्यापित) परिवार नकल व सचिव द्वारा अप्राप्यता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसकी बेटी की जन्म तिथि का पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

और जबकि, जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) शिमला ने पत्र संख्या HFW-SML (B&D)/After/01-04-1970/-7139 दिनांक 31-08-2026 के माध्यम से पलक पुत्री श्री सरन दास के जन्म पंजीकरण में देरी घटना के तथ्यों का सत्यापन किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि के पंजीकरण का सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 31-10-2026 को सुबह 10.00 बजे असागतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सुरत में ग्राम पंचायत शोली को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(अनिल कुमार),
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**In the court of Sunny Sharma, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh**

1. Mr. Joginder Kumar s/o Sh. Prem Chand, aged about 33 years, r/o Hotel Holiday Home Cart Road Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh-171 001.

2. Ms. Kusum Rana d/o Sh. Prem Parkash Rana, aged about 37 years, r/o H. No. 20, Sector-6, P.O. Panchkula, Tehsil & District Panchkula, Haryana-34 109 . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Registration of marriage under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 (Central Act. of 1954).

Mr. Joginder Kumar s/o Sh. Prem Chand, aged about 33 years, r/o Hotel Holiday Home Cart Road Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Ms. Kusum Rana d/o Sh. Prem Parkash Rana, aged about 37 years, r/o H. No. 20, Sector-6, P.O. Panchkula, Tehsil & District Panchkula, Haryana-34 109 have filed on application and affidavits in the court of the undersigned under Section 5 of the Special Marriage Act, 1954 on 29th September, 2026 and intend to get married within three calendar months from the date hereof.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 05th November, 2026 from the date of this notice after that no objection will be entertained and marriage shall be registered accordingly.

Issued today on 06th October, 2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
(SUNNY SHARMA, HPAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla (H.P.).

कार्यालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, (तहसीलदार) कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मेनका पत्नी सुनील कुमार, निवासी गांव ठोंठा जाखल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

1. आम जनता
2. ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

विषय.—प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण-पत्र व सरकारी दस्तावेजों में दुरुस्त करवाने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्रीमती मेनका पत्नी सुनील कुमार ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी पुत्री का नाम कृतिका चौहान व जन्म तिथि 10-06-2012 पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में गलत दर्ज है जिसे वह दुरुस्त करवाना

चाहती है उन्होंने इस बारे अमर उजाला व the times of India Chandigarh newspaper में प्रकाशित किया है अतः आधार कार्ड व स्कूल प्रमाण-पत्र व सरकारी दस्तावेजों में दुरुस्ती की जावे जो निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	नाम	सम्बन्ध	जन्म तारीख
1	कृतिका ठाकुर	स्वयं	21-05-2012

अतः ग्राम ठोंठा जाखल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह तारीख 29-10-2026 को या उससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे।

आज तारीख 29-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

केस नं० : /2026

प्रार्थिया श्रीमती परमजीत कौर पुत्री दर्शन सिंह, निवासी पुरुवाला संतोशगढ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती परमजीत कौर पुत्री दर्शन सिंह, निवासी पुरुवाला संतोशगढ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2026-6706, दिनांक 11-09-2026 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 03-01-1992 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पुरुवाला के जन्मतिथि अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थिया श्रीमती परमजीत कौर पुत्री दर्शन सिंह, निवासी पुरुवाला संतोशगढ की जन्म तिथि 03-01-1992 है, को तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

शीर्षक.—

श्री सुखदेव सिंह पुत्र तरण सिंह, निवासी पुरूवाला संतोषगढ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

मखफूद उलखवरी का इन्तकाल बारे।

श्री सुखदेव सिंह पुत्र तरण सिंह, निवासी पुरूवाला संतोषगढ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि श्री अमरजीत सिंह पुत्र तरण सिंह जो उसका सगा भाई था पिछले लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से घर से लापता है तथा इसको तलाश करने की हमने हर सम्भव कोशिश की परन्तु आज तक इसका कोई भी पता नहीं चल पाया है। इस सन्दर्भ में पुलिस रिपोर्ट की प्रति, ब्यान तथा इस न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय अभिकरण से रिपोर्ट भी तलब की है, जिन्होंने इसकी पुष्टि की है। प्रार्थी श्री सुखदेव सिंह पुत्र तरण सिंह का मखफूद उलखवरी का इन्तकाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त मखफूद उलखवरी का इन्तकाल दर्ज करने बारे किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2026 को मुकर्रर तारीख पर वक्त सुबह असाततन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 08-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं० : /2026

श्रीमती लीला देवी पत्नी बलवीर सिंह, निवासी रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र आधार कार्ड में नाम दुरुस्त करने बारे।

श्रीमती लीला देवी पत्नी बलवीर सिंह, निवासी रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना की है कि उसका नाम आधार कार्ड में लीलावती पत्नी बलवीर सिंह है जोकि गलत है जबकि मेरा सही नाम लीला देवी पत्नी बलवीर सिंह है व आधार कार्ड में नाम को सही करने बारे आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती लीला देवी पत्नी बलवीर सिंह, निवासी रामपुरघाट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : /2026

प्रार्थिया श्रीमती महीन्द्रो देवी पुत्री रोशन लाल, निवासी केदारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती महीन्द्रो देवी पुत्री रोशन लाल, निवासी केदारपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2026-5074, दिनांक 10-08-2026 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 30-03-1981 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्मतिथि अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-10-2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थिया श्रीमती महीन्द्रो देवी पुत्री रोशन लाल, निवासी केदारपुर की जन्म तिथि 30-03-1981 है, को तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30-09-2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहड़ू कलां,
जिला ऊना (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 8095171/NTBC/2026

किस्म दावा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 05-11-2026

देवी चन्द शर्मा

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा अनुवान वाला में प्रार्थी देवी चन्द शर्मा, पुत्र परमा नंद, वासी महाल रायेपुर, उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती इस न्यायालय में दायर किया है, जिसमें उसने अपना नाम देवी चन्द शर्मा, पुत्र परमा नंद बताया है, जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल रायेपुर जमाबन्दी वर्ष 2020-2021 के अनुसार देवी चन्द दर्ज है। प्रार्थी देवी चन्द के बजाए देवी चन्द उपनाम देवी चन्द शर्मा करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख रायेपुर, मौजा थहड़ा, उप-तहसील बीहड़ूकलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि 05-11-2026 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 08-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), उप-तहसील बीहड़ू कलां,
जिला ऊना (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 8095151/NTBC/2026

किस्म दावा : नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी : 05-11-2026

श्रीमती जीतो देवी

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थिया श्रीमती जीतो देवी पुत्री धर्मू, वासी महाल खोली, उप-तहसील बीहड़ू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती इस न्यायालय में दायर किया है, जिसमें उसने अपना नाम श्रीमती जीतो देवी पुत्री धर्मू बताया है, जबकि उसका नाम राजस्व अभिलेख

महाल खोली जमाबन्दी वर्ष 2024-2025 के अनुसार सीता देवी पुत्री धर्मू दर्ज है। प्रार्थिया श्रीमती सीता देवी की बजाए श्रीमती सीता देवी उपनाम श्रीमती जीतो देवी करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख खोली, मौजा टीहरा, उप-तहसील बीहड़कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) में इस नाम दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि 05-11-2026 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 03-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
उप-तहसील बीहड़ कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Himani Pundir (Aadhar Card No. 3710 3276 1712) d/o Sh. Purnia Ram, H.No. #62/3, Block No. 52, Chuli Dadahu (85), P.O. Dadahu, Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh have changed my name from Himani Pundir to Kumari Himani for all future purposes.

HIMANI PUNDIR

d/o Sh. Purnia Ram,

H.No. #62/3, Block No. 52, Chuli Dadahu (85),

P.O. Dadahu, Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh.

CHANGE OF NAME

I, Sanjeev Pundir (Aadhar Card No. 7965 1928 4455) s/o Sh. Inder Singh, H.No. #62/3, Block No. 52, Chuli Dadahu (85), P.O. Dadahu, Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh have changed my name from Sanjeev Pundir to Sanjeev Kumar for all future purposes.

SANJEEV PUNDIR

s/o Sh. Inder Singh,

H.No. #62/3, Block No. 52, Chuli Dadahu (85),

P.O. Dadahu, Distt. Sirmaur, Himachal Pradesh.

CORRECTION OF NAME

I, Dal Prasad Khanal s/o Sh. Amrite Khanal, r/o H.No. 3303/11, Katcha Tank, Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that my son's correct name is SANDEEP KHANAL as per his birth certificate but in his Aadhar Card No. 3813 6240 9355 his name is wrongly written as Sandeep only Father's name is also wrongly entered as Dinesh Kumar instead of correct name as DAL PRASAD KHANAL. All concerned please may note.

DAL PRASAD KHANAL

s/o Sh. Amrite Khanal,

r/o H.No. 3303/11,

Katcha Tank, Nahan, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ram Krishan s/o Sh. Shishi Ram, r/o Vill. Khoptuwari, P.O. Larot, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Shivam (Old Name) to Shivam Chauhan (New Name). All concerned please may note.

RAM KRISHAN
s/o Sh. Shishi Ram,
r/o Vill. Khoptuwari, P.O. Larot,
Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ram Krishan s/o Sh. Shishi Ram, r/o Vill. Khoptuwari, P.O. Larot, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Sonashi (Old Name) to Sonakshi (New Name). All concerned please may note.

RAM KRISHAN
s/o Sh. Shishi Ram,
r/o Vill. Khoptuwari, P.O. Larot,
Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anmol Swaroop s/o Devinder Swaroop, Village Dak, P.O. Dahab, Sub- Tehsil Raja Ka Talab, District Kangra (H.P.) declare on oath that I have changed my two different names Anmol Swaroop and Anmol to Anmol Choudhary. All note.

ANMOL SWAROOP
s/o Devinder Swaroop,
Village Dak, P.O. Dahab,
Sub- Tehsil Raja Ka Talab, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tandeep Kaur Chhabra w/o Sh. Karan Chaudhary aged 27 years, r/o Chaudhary Mansion, Bhutti Colony, Shamshi, Kullu have changed my name from Tandeep Kaur Chhabra to Tandeep Chaudhary vide Affidavit No. 533, dated 09-10-2026, before Notary Man Singh, Kullu.

TANDEEP KAUR CHHABRA
w/o Sh. Karan Chaudhary,
r/o Chaudhary Mansion,
Bhutti Colony, Shamshi, Kullu.

CORRECTION OF NAME

I, Dhayani Devi w/o Sh. Ved Praksh, r/o Village Awarali Kareri, P.O. Kholanal, Tehsil Bali Chowki, Distt. Mandi (H.P.) in Aadhar Card No. 4172 8893 1706 my name Dhyani Dasi is wrongly recorded, correct name is DHAYANI DEVI. Concerned note.

DHAYANI DEVI
w/o Sh. Ved Praksh,
r/o Village Awarali Kareri, P.O. Kholanal,
Tehsil Bali Chowki, Distt. Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sakindra Devi w/o Late Sh. Naresh Kumar, r/o V.P.O. Dhaneta, Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that my name is wrongly recorded in my Aadhar Card & PAN Card as Sikandra Devi whereas, my correct name is Sakindra Devi as per my all relevant documents. Both names belong to same person. All concerned note.

SAKINDRA DEVI
w/o Late Sh. Naresh Kumar,
r/o V.P.O. Dhaneta,
Teh. Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bhag Chand s/o Sh. Uttam Chand, r/o Vill. Khanayari, P.O. Bakhrot, Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name as KANIKA VERMA (Old Name) to KARNIKA VERMA (New Name). All concerned please may note.

BHAG CHAND
s/o Sh. Uttam Chand,
r/o Vill. Khanayari, P.O. Bakhrot,
Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Raaj Perhate (26) s/o Shri Yashpal, r/o Village Malog Nandpur (87), Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Rajinder to Raaj Perhate. I shall be known and identify by my new name Raaj Perhate from dated 05-10-2026. All concerned please note.

RAAJ PERHATE
s/o Shri Yashpal,
r/o Village Malog Nandpur (87),
Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Deepika w/o Sh. Neetu, r/o V.P.O. Sharontha, Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly mentioned as Kaki in her Aadhar Card No. 4003 0223 4885. Therefore, it should be changed to Priyal in her Aadhar Card. Please Note it.

DEEPIKA
w/o Sh. Neetu,
r/o V.P.O. Sharontha,
Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rakesh Kumar s/o Sh. Uttam Ram, Vill. Dagan, P.O. Peog, Teh. Anni, Distt. Kullu (H.P.) declare that my son's name spelling is wrongly recorded as MANISH KUMAR in his Aadhar Card. Whereas, correct name spelling is MUNISH KUMAR as per all relevant documents. Both names belong to same person. All concerned note.

RAKESH KUMAR
s/o Sh. Uttam Ram,
Vill. Dagan, P.O. Peog,
Teh. Anni, Distt. Kullu (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Anita Kaushal w/o Sh. Ajay Kaushal, r/o Village Jhalera, P.O. Rainsari, Tehsil & Distt. Una (H.P.) hereby declare that my name has been wrongly mentioned as Anita Kumari in my Aadhar Card No. 9102 4632 2756, instead of my correct name Anita Kaushal. All concerned please note.

ANITA KAUSHAL
w/o Sh. Ajay Kaushal,
r/o Village Jhalera, P.O. Rainsari,
Tehsil & Distt. Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jaswant Kumar s/o Sh. Sohan Lal, r/o V.P.O. Badehar, Tehsil & District Una (H.P.) hereby declare that I have changed my daughter's name from Arushi to Arushi Choudhary. All concerned please note.

JASWANT KUMAR
s/o Sh. Sohan Lal,
r/o V.P.O. Badehar,
Tehsil & District Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Davinder Singh s/o Sh. Mohinder Singh, r/o V.P.O. Hamboli, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.) hereby declare that I have changed my daughter's name from Shreya to Shreya Choudhary. All concerned please note.

DAVINDER SINGH
s/o Sh. Mohinder Singh,
r/o V.P.O. Hamboli, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Saroj Kumari w/o Sh. Yog Raj, r/o Ward No. 06, Village Gharwasra, P.O. Churari, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) hereby declare that my name has been wrongly mentioned as Satochani in my Aadhar Card No. 5869 4059 1653, instead of my correct name Saroj Kumari. All concerned please note.

SAROJ KUMARI
w/o Sh. Yog Raj,
r/o Ward No. 06, Village Gharwasra, P.O. Churari,
Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Raksha Devi w/o Sh. Chander Mohan, r/o V.P.O. Arhal, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Harishta Thakur (Old Name) to Arshita (New Name). All concerned please may note.

RAKSHA DEVI
w/o Sh. Chander Mohan,
r/o V.P.O. Arhal, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ranjeet Singh (New Name) s/o Sh. Bihari Lal, r/o Vill. Rathi, P.O. Bachhunch, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Ranjeet Kumar (Old Name) to Ranjeet Singh (New Name). All concerned please may note.

RANJEET SINGH
s/o Sh. Bihari Lal,
r/o Vill. Rathi, P.O. Bachhunch,
Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Gopi Chand s/o Sh. Rawal Nath, r/o Vill. Jabal, P.O. Gaonsari, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly mentioned as Kake in her Aadhar Card No. 2411 0407 6604. Therefore, it should be changed to Somya in her Aadhar Card. Please note it.

GOPI CHAND
s/o Sh. Rawal Nath,
r/o Vill. Jabal, P.O. Gaonsari,
Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Chander Singh s/o Sh. Sher Singh, r/o Vill. Samra, P.O. Samra, Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Lovish Rathore (Old Name) to Lavish Thakur (New Name). All concerned please may note.

CHANDER SINGH
s/o Sh. Sher Singh,
r/o Vill. Samra, P.O. Samra,
Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Mahender Kumar s/o Late Sh. Bhagat Ram, r/o Village Balh Chalog, P.O. Marotan, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.) hereby declare that my minor daughter's name has been wrongly mentioned as Tanishtha Garg in her Aadhar Card No. 2980 9305 9615, instead of her correct name Tanistha Sharma. All concerned please note.

MAHENDER KUMAR
s/o Late Sh. Bhagat Ram,
r/o Village Balh Chalog, P.O. Marotan,
Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Narotam Ram s/o Sh. Shaunu Ram, r/o Vill. Chamshal, P.O. Ghat, Tehsil Bali Chowki, Distt. Mandi (H.P.) declare that my son's correct name is HARVANSH KUMAR, whereas it is wrongly mentioned as HERBANSI THAKUR in his Aadhar Card. Both names belong to one and the same person.

NAROTAM RAM
s/o Sh. Shaunu Ram,
r/o Vill. Chamshal, P.O. Ghat,
Tehsil Bali Chowki, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manisha w/o Late Sh. Ram Lal, r/o V.P.O. Bholar, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Pariysh (Old Name) to Priyansh (New Name). All concerned please may note.

MANISHA
w/o Late Sh. Ram Lal,
r/o V.P.O. Bholar,
Tehsil Jubbal, Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Shankutla Devi w/o Sh. Chandel Singh, r/o V.P.O. Bagwara, Tehsil Bamson at Tauni Devi, Distt. Hamirpur (H.P.) Pin-177 021 declare that my name is wrongly recorded in my Aadhar Card Shakuntala Devi whereas, my correct name is Shankutla Devi as per my all relevant documents. Both names belong to same Woman. Concerned note.

SHANKUTLA DEVI
w/o Sh. Chandel Singh,
r/o V.P.O. Bagwara, Tehsil Bamson at Tauni Devi,
Distt. Hamirpur (H.P.) Pin-177 021.

CORRECTION OF NAME

I, Kamlesh Kumari w/o Sh. Kewal Singh, r/o Village Bhati Hadialchan, P.O. Manoh Sihal, Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing No. 7544 1434 8718, my name is wrongly entered as Kamlesh Devi whereas, my correct name is Kamlesh Kumari. I shall be known as Kamlesh Kumari for all purposes in future. All concerned please note.

KAMLESH KUMARI
w/o Sh. Kewal Singh,
r/o Village Bhati Hadialchan, P.O. Manoh Sihal,
Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Veena Devi w/o Sh. Mani Kumar, r/o Village Pramb, P.O. Kalruhi, Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.) declare that I have changed my name from Beena Kumari to Veena Devi. I shall be known as Veena Devi for all purposes in future. All concerned please note.

VEENA DEVI
w/o Sh. Mani Kumar,
r/o Village Pramb, P.O. Kalruhi,
Tehsil Amb, Distt. Una (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Bindu Pandit s/o Sh. Chunu Ram, r/o Village Dargatha, P.O. Durgathi, Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.)-176 324 declare that in my Aadhar Card bearing No. 4290 2222 0301 my name is wrongly entered as Bajru Ram. Whereas, my correct name is Bindu Pandit. I shall be known as Bindu Pandit for all purposes in future. All concerned please note.

BINDU PANDIT
s/o Sh. Chunu Ram,
r/o Village Dargatha, P.O. Durgathi,
Tehsil Bharmour, Distt. Chamba (H.P.)-176 324.

CORRECTION OF NAME

I, Satish Kumar s/o Sh. Mehta Ram, r/o Village Danoon, Post Office Sundla, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.) Pin Code-176 312 declare that in Aadhar Card of my minor son bearing No. 4044 5033 9750, his name is wrongly entered as Arya Thakur. Whereas, his correct name is Aryan Thakur. He shall be known as Aryan Thakur for all purposes in future. All concerned please note.

SATISH KUMAR
s/o Sh. Mehta Ram,
r/o Village Danoon, Post Office Sundla,
Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.) Pin Code-176 312.

CORRECTION OF NAME

I, Maneesha w/o Sh. Naresh Kumar, r/o Village Kuthar, Post Office Badgram, Tehsil Bharmour, Kuthar (41), P.O. Tundah, Sub-District Bharmaur, Distt. Chamba (H.P.) declare that my correct name is Maneesha and wrongly recorded in my Aadhar Card No. 6835 4150 9529 as Manisha Devi. All concerned note please.

MANEESHA
w/o Sh. Naresh Kumar,
r/o Village Kuthar, Post Office Badgram,
Tehsil Bharmour, Kuthar (41), P.O. Tundah,
Sub-District Bharmaur, Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Papender Singh s/o Sh. Amar Singh, r/o Village Arana, P.O. Bali-Koti, Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.) declare that the correct and actual name of my son is Vasu Negi as per his Birth Certificate and other records. However, the name of my son is incorrectly shown as Vanshvasu Negi in his Aadhar Card 2292 7628 8400. This is wrong and should be corrected as Vasu Negi in his Aadhar Card. All concerned please may note.

PAPENDER SINGH
s/o Sh. Amar Singh,
r/o Village Arana, P.O. Bali-Koti,
Tehsil Shillai, Distt. Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Krishak Kumar s/o Sh. Pawan Kumar, r/o Village Urei, P.O. Urei, Tehsil Bharmour Urai, Distt. Chamba (H.P.)-176 324 declare that I have changed my name from Krishik Kumar to Krishak Kumar. Concerned note.

KRISHAK KUMAR
s/o Sh. Pawan Kumar,
r/o Village Urei, P.O. Urei,
Tehsil Bharmour Urai,
Distt. Chamba (H.P.)-176 324.

CHANGE OF NAME

I, Baby Devi w/o Sh. Sanjeev Kumar, r/o Village Balh, P.O. Mohin, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that in birth certificate of my minor son his name entered as Divanshu. Now, I have changed his name from Divanshu to Divansh Kumar. He shall be known as Divansh Kumar for all purposes in future. All concerned please note.

BABY DEVI
w/o Sh. Sanjeev Kumar,
r/o Village Balh, P.O. Mohin,
Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).

